मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-31.05.2013 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों में त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवा एवं पेंशन से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अतएव उक्त मामले से संबंधित प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग तथा मुकदमा नीति, 2011 के तहत प्राप्त आवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन विधि विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2. बैठक में 44 विभागों में से मात्र 28 विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं मनोनीत प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अन्य यथा ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यावरण एवं वन विभाग/पर्यटन विभाग/पिछड़ा एवं अति पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग/सूचना प्रावैद्यिकी विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/उद्योग विभाग/कृषि विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/संसदीय कार्य विभाग/निर्वाचन विभाग/गृह विभाग/वित्त विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग के प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई।

विभाग में विभिन्न स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण, नियम, परिपत्र व आदेश के आलोक में सकारण आदेश पारित किया जाय तथा उक्त प्रतिवेदनों का स्वीकृत व अस्वीकृत की रिपोर्ट विधि विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई रिट याचिकाओं में बिहार मुकदमा नीति, 2011 के कार्यान्वयन पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है, को ध्यान में रखते हुये निदेश दिया गया कि दावे के किसी तरह का आवेदन जो किसी भी पदाधिकारी को सम्बोधित है, उसका निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के अन्दर सभी विभाग शिकायत निवारण समिति में रखकर सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य यह है कि याचिकाओं की संख्या में कमी आवे।

4. विभागीय अधिकार प्राप्त समिति को भी सुदृढ़ किया जाय तथा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 को ध्यान में रखते हुये न्यायालय में लंबित मामलों का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाय कि समय पर प्रतिशपथ पत्र दायर हुआ या नहीं तथा जो अवमाननावाद दायर हुआ है उसमें कारण पृच्छा दायर हुआ अथवा नहीं।

5. जिन मामलों का निराकरण विभागीय अधिकार प्राप्त समिति में नहीं होता है, उसे राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष लाया जाय।

माह जून, 2013 से दो बार Empowered Committee की बैठक होना है। जो प्रथम बैठक माह के द्वितीय शुक्रवार समूह-1 एवं द्वितीय बैठक माह के चतुर्थ शुक्रवार समूह-2 की बैठक होनी है। राज्य मुकदमा नीति के तहत प्राप्त आवेदनों को विधि विभाग में भेजा जाना है।

6. सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग द्वारा प्रतिवेदन मुख्य सचिव, बिहार के समक्ष रखा जायेगा तथा मुख्य सचिव के स्तर से समीक्षा की जायगी।

7. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, श्री व्यास जी द्वारा कहा गया कि उनके साथ आपदा प्रबंधन विभाग के अलावे स्वास्थ्य विभाग भी है और दोनों विभाग दो समुहों में है। इसलिए दोनों को एक समूह में कर दिया जाय। इसी प्रकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग दोनों एक ही प्रधान सचिव श्री ब्रजेश मेहरोत्रा के प्रभार में है और दोनों दो समूहों में है। इसलिए एक समूह में कर दिया जाय। दोनों प्रधान सचिव द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को समूह-2 में तथा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को समूह-1 में रखा गया है।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

4358 जे०

11.6.13

मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-आविवि-E-109/13-/जे0 पटना, दिनांक-11/06/13

प्रतिलिपिः- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/6

सरकार के विशेष सचिव

विधि विभाग, बिहार।

4358 जे०

ज्ञापांक-आविवि-E-109/13-/जे0 पटना, दिनांक-11/06/13

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/6

सरकार के विशेष सचिव

विधि विभाग, बिहार।